

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़(राजस्थान)

मिसल न० 02/21/प्रा0पत्र

एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस-त्रिशूल,समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे,इलीज ब्रीज,
अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस,बोम्बे डाइगं मिल्स कमपाउण्ड,पान्दुरंग
बुद्धकर मार्ग,वर्ली मुम्बई- 400025 जरिये प्राधिकृत अधिकारी,पुनीत माथुर

प्रार्थी/सिक्थोर कैंडिटर



बनाम

01. अभिषेक शर्मा पुत्र सुरेन्द्र शर्मा नि० सी-180 ए ज्ञान मार्ग,तिलक नगर जवाहर नगर,जयपुर
अन्य पता राधा मेडिकल,प्रोपराईटर अभिषेक शर्मा शॉप न० 43 मालवीय नगर इन्डस्ट्रीयल
एरिया,अपेक्स सर्किल,जयपुर 302018 ऋणी
02. श्रीमति आशा शर्मा पत्नी सुरेन्द्र कुमार शर्मा निवासी सी-180 ए ज्ञान मार्ग,तिलक
नगर,जवाहर नगर,जयपुर 302004 सहऋणी
03. सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र गौरी शंकर शर्मा निवासी सी-180 ए ज्ञान मार्ग,तिलक नगर,जवाहर
नगर,जयपुर 302004 सहऋणी एवं मौर्गेजर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 सिक्थोरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स
एण्ड एनफॉर्समेंट ऑफ सिक्थोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद पश्चात "एक्ट" से सम्बोधित किया गया
है बंधक संपत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

—: निर्णय :-

दिनांक: 01.01.2021

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जयें अधिकृत प्रतिनिधि सिक्थोरिटाईजेशन एक्ट 2002 की
धारा 14 के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन
किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक से दिनांक 24.01.2018 को रूपये 21,35,568/- का ऋण
लिया था व उक्त ऋण व उसके ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्थोरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति
प्लॉट न० सी- 79, हाउसिंग कालोनी,चंद्रावती ग्रोथ सेन्टर झालरापाटन, झालावाड़ जिसका क्षेत्रफल
162 वर्गमीटर को बंधक रखा था। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को नियमानुसार ऋण नहीं चुकाने पर उक्त
खाते को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया गया। प्रार्थी बैंक ने एन पी ए घोषित होने के
कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 17.01.2020 को नोटिस दिये गये परन्तु
नोटिस प्राप्ति के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई। अप्रार्थीगण के खाते में
बकाया राशि 22,08,718/- दिनांक 17.12.2019 तक शेष हैं व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित
राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। सिक्थोरिटाईजेशन एक्ट के प्रावधानों के
अनुसार प्रार्थी सिक्थोरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को
वसूल करने का अधिकारी है। उपरोक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाया प्रार्थी बैंक या उसके
द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने का अनुरोध किया गया है।

सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है। अतः
हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। बैंक को ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान नहीं
करने पर व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर उक्त खाते को एन.पी.ए. घोषित किया गया है, ऋणी के विरुद्ध
रूपये 22,08,718/- दिनांक 17.12.2019 तक शेष हैं तथा इसके बाद की ब्याज व अन्य खर्च हेतु
उपरोक्तानुसार मांग की गई। उक्त राशि का भुगतान करने के लिये ऋणी जिम्मेदार है। ऋणी द्वारा
बैंक से लिये गये ऋण की राशि का नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात बैंक द्वारा बकाया
मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने तत्पश्चात भी मांग राशि का
भुगतान ऋणी द्वारा नहीं किये जाने पर बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का
प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की धारा 14 के तहत
बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफैसी
एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टी पश्चात जमानत स्वरूप बन्धक रखी गई सम्पत्ति को बैंक
को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है- बैंक द्वारा समस्त विधिक
औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है व इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्तानुसार
प्रा०पत्र के सलंगन शपथ के दृष्टिगत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति
हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता
है। ऋण व बकाया रकम की अदायगी हेतु अप्रार्थीगण द्वारा बैंक में गिरवीकृत अचल सम्पत्ति प्लॉट
न० सी- 79, हाउसिंग कालोनी,चंद्रावती ग्रोथ सेन्टर झालरापाटन, झालावाड़ जिसका क्षेत्रफल 162
वर्गमीटर है,जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है पूर्व में सी-76, पश्चिम में रास्ता,उत्तर में मकान सी-78व
दक्षिण में सी-80 स्थित है। उक्त सम्पत्ति पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत
व्यक्ति को दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को आदेशित किया जाता है। इस क्रम में प्रार्थी
नियमानुसार निर्णय की प्रति प्राप्त कर पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ से सम्पर्क कर ऋणी बैंक में गिरवीकृत
सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील
तकमिल जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक: 01.01.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़